

अचल सम्पति अन्तरण दस्तावेज (तबदील मलकियत) (पारिवारिक रिश्ता)

हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग के आदेश दिनांक 16, जून 2014 के अनुसार स्टाम्प शूल्क से छुट है ।

.....का/की हूं। जो  
कि एक प्लाट/मकान नं० .....रकबा ..... वर्ग गज जिसकी सीमा व पैमाईश निम्न प्रकार से है:-

पूर्व:- ..... फुट..... इंच..... पश्चिम:- ..... फुट..... इंच.....

उत्तर:- ..... फुट..... इंच..... दक्षिण:- ..... फुट..... इंच.....

जो कि लाल डोरा में गांव/शहर ..... तहसील..... जिला..... में स्थित है जिसका मैं/हम बैयनामा क्र०.....दिनांक..... सब-रजिस्ट्रार कार्यालय..... के अनुसार कालौनी/वार्ड..... में अन्दरून नगर पालिका/नगर निगम/बाहर गांव .....

..... मेरी/हमारी अपनी मलकियत है। जो हर प्रकार के भार से पाक व साफ है । जिस पर मैंने कोई भी कर्ज सरकारी अर्ध सरकारी या गैर सरकारी बैंक या संस्था किसी व्यक्ति/व्यक्तियों से नहीं लिया हुआ है भार मुक्त है । यह है कि श्री/श्रीमती .....

..... मेरे पारिवारिक रिश्ते मे.....

..... लगते है । उपरोक्त लिखित प्लाट/मकान तमाम मालकाना अधिकारों सहित जो मुझे उक्त प्लाट/मकान मे प्राप्त है, को उपरोक्त वर्णित श्री/श्रीमती .....

..... को अंतरण (तबदील) करना चाहते/चाहती हूं । प्लाट/मकान उपरोक्त वर्णित का अंतरण (तबदील) का मुझे पूर्ण अधिकार प्राप्त है । अतः मैं अपने होशो हवास खुद रजामन्दी बिना किसी के सिखाये बहकाये उपरोक्त प्लाट/मकान में मुझे/हमें बतौर मालिक हक हासिल है, के सभी अधिकार बिना प्रतिफल के बिना कोई धन राशि अर्जित किये अपने सभी मालिकान हक उपरोक्त वर्णित प्लाट/मकान को श्री/श्रीमती .....

..... को अंतरण (तबदील) कर दिया है । आज के बाद अंतरण शुदा प्लाट/मकान से मेरा या मेरे किसी भी उत्तराधिकारी का कोई ताल्लूक वास्ता नहीं रहा है । अंतरण (तबदील) शुदा प्लाट/मकान किसी प्रकार का कोई नुक्स या हर्ज पाया जावे या किसी कानूनी या वाकयाति त्रुटि के कारण अंतरण प्राप्तकर्ता के स्वामित्व से निकल जावे तो उसका मैं/हम स्वयं जिम्मेवार हुंगा/होगें । इस प्रकार अंतरण ग्रहणकर्ता प्लाट/मकान उपरोक्त लिखित का पूर्ण रूप से मालिक व स्वामी हो गया है । जिसे वह किसी भी प्रकार से चाहे इस्तेमाल कर सकेगा । उसे आगे अंतरण (तबदील) करने का भी उसे पूर्ण अधिकार हासिल होगा । कब्जा मौका पर अंतरण प्राप्तकर्ता का मालकाना असल करा दिया है । रिकार्ड माल मे अंतरण शुदा प्लाट/मकान ग्रहणकर्ता के नाम तबदील किये जाने मे मुझे/हमें कोई भी आपत्ति नहीं होगी । अतः यह अंतरण लेख (तबदील मलकियत) प्लाट/मकान नियमानुसार निष्पादित कर दिया है ताकि प्रमाण रहे । जिस पर मैंने/हमने पढ़ कर/सुनकर व समझ कर हस्ताक्षर/अंगुठा किये है । आज .....दिनांक .....

अंतरण कर्ता

प्राप्तकर्ता

गवाह

गवाह